



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 2, गुरुवार, शाके 1936—जुलाई 24, 2014
Sravana 2, Thursday, Saka 1936—July 24, 2014

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 23, 2014

संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/819:— राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12 एवं 102 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा धारा 12 के अन्तर्गत पंचायतों की संरचना के लिये प्रत्येक पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में विभाजित करने के लिये पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (2)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/98/3837 दिनांक 22-08-2000 के प्रावधानों को तुरन्त प्रभाव से संशोधित करते हुए, निम्न प्रावधान किया जाता है :-

“ विभागीय अधिसूचना एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02 जून, 2014 के अनुसरण में जिला कलेक्टर्स द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन / नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने के परिणामस्वरूप पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतों हेतु तीन हजार तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में कम से कम पांच वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है, तीन हजार से अधिक प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिये पांच की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।”

आज्ञा से,
राजेश यादव,
शासन सचिव एवं आयुक्त।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 24, सोमवार, शाके 1936—सितम्बर 15, 2014
Bhadra 24, Monday, Saka 1936—September 15, 2014

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचनायें

जयपुर, सितम्बर 12, 2014

संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1284:—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 13 एवं 102 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा धारा 13 के अन्तर्गत पंचायत समिति की संरचना के लिये प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को एकल सदस्य वार्डों में विभाजित करने के लिये निम्न प्रावधान किया जाता है :—

“विभागीय अधिसूचना एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02 जून 2014 के अनुसरण में जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने के परिणामस्वरूप पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियों हेतु एक लाख तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिये, पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।”

जयपुर, सितम्बर 15, 2014

संख्या एफ.15(2)पंरावि/विधि/वार्डों का गठन/14/1287:—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/पुनर्निर्धारण करने हेतु संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,

राजेश यादव,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

पंचायत आम चुनाव-2015

अति. आवश्यक



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.15(1)पंरावि/विधि/आरक्षण/2014/1574

जयपुर, दिनांक:- 28/11/14

1. जिला कलेक्टर, समस्त ।

2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त ।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1542 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2015 के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15, 16 एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-5 से 9 के प्रावधानों के तहत समस्त जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधानों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए पंचायती राज अधिनियम की धारा-98 के तहत अधिकृत किया जा चुका है । यह कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना है । अतः सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 20.12.2014 तक पूर्ण की जाकर, आप द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सूचना उसी रोज इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

इस कार्य के लिए राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा-15, 16 एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-5 से 9 में समस्त व्यवस्था एवं प्रक्रिया दी हुई है, जिसका भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त कोई समस्या नहीं होनी चाहिये । फिर भी कोई शंका हो तो उसका निराकरण इस कार्यालय से तुरन्त करावें, क्योंकि यह संवैधानिक जिम्मेदारी का कार्य है ।

इस कार्य के लिए कानून की स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जाती है:-

1. जनसंख्या के आधार पर सीटों का श्रेणीवार निर्धारण एवं उनका आवंटन दो अलग-अलग प्रक्रिया है ।
2. जनसंख्या आधारित आरक्षण के लिए सीटों का निर्धारण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है ।

(2)

3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम (साईकिल) जिसके आधार पर गत चुनाव सम्पन्न करवाएँ गये थे, के अनुसार ही किया जावेगा, जब तक कि वह पूर्ण नहीं हो जाता है ।
4. हाल ही में दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को अधिसूचना जारी कर राज्य में 723 नई ग्राम पंचायतों एवं 47 पंचायत समितियों का नवसृजन किया गया है । इन नवसृजित ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों एवं नवसृजित पंचायत समितियों के प्रधान पदों का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर श्रेणीवार निर्धारण एवं आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम (साईकिल) जिसके आधार पर गत चुनाव सम्पन्न करवाएँ गये थे, के अनुसार ही किया जावेगा ।
5. जिन पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों) का पुनर्गठन एवं नवसृजन कर वार्डों का पुनर्गठन/नवसृजन किया गया है । उन संस्थाओं के वार्डों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नये चक्रानुक्रम (साईकिल) से किया जावेगा ।
6. यदि कोई स्थान (सीट) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों वर्गों के लिए आरक्षण में आ रहा है तो जिस श्रेणी का जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगा, वह स्थान उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जावेगा ।
7. महिलाओं का आरक्षण वर्ष 2010 के आम चुनाव के अनुसार 50 प्रतिशत रखा जावेगा ।

8. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था:-

राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 की धारा-3 के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष पद पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है । तदनुरूप डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में अध्यक्ष पद के सभी स्थान और उदयपुर, सिरोही एवं प्रतापगढ़ जिले में अधिसूचना में वर्णित स्थानों पर अध्यक्ष पद के समस्त अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे, परन्तु इन स्थानों में कम से कम 1/2 स्थान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे । उदयपुर, सिरोही एवं प्रतापगढ़ जिलों में जो पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं आती हैं । उनमें आरक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-5 से 9 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।

9. आरक्षित पदों के निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक कठिनाई आने पर कृपया राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1994 के नियम-5 से 9 का संदर्भ लें ।

10. उक्त कार्यवाही में जहां आरक्षण के लिए लाटरी निकाली जावेगी, वहां नियम-7(11) की पालना में लाटरी के लिए निर्धारित समय, स्थान व तिथि की सूचना संबंधित विधानसभा सदस्य को दी जानी है । यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक पंचायत समितियां हैं तो समय, स्थान व तिथियों का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि प्रत्येक विधानसभा सदस्य को प्रत्येक लाटरी के समय उपस्थित रहने का अवसर मिल सके ।

(3)

11. इसके लिए कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण कर दिनांक 9.12.2014 से 20.12.2014 तक आवश्यक रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर दिनांक 21.12.2014 तक सूचना राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

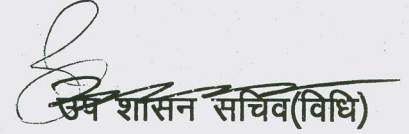
आरक्षित पदों के निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक कठिनाई आने पर श्री किशन लाल बाडेटियु उप शासन सचिव(विधि) से नीचे लिखे दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

0141-2227080 (कार्यालय)
94140-19433 (मोबाईल)



शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।



उप शासन सचिव(विधि)